भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 620
22.07.2026 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकीय ढांचे की समीक्षा

620. श्री बैजयंत पांडाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्यमान सांख्यिकीय ढांचे की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए कोई कार्यप्रणाली संबंधी समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या किसी विशेषज्ञ समूह या तकनीकी परामर्श का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का सांख्यिकीय मानकों या सर्वेक्षण उपकरणों को अद्यतित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) सांख्यिकीय ढांचे की समय-समय पर कार्यप्रणाली संबंधी समीक्षा करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधिकारिक आंकड़े अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना का सही प्रतिनिधित्व करते रहें और उभरती डेटा आवश्यकताओं को पूरा करते रहें। मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख कार्यप्रणाली संबंधी समीक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

एमओएसपीआई ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए व्यापक आधार-संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये समष्टि-आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को सही तरीके से दर्शाएं और अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों के अनुरूप हों। तदनुसार, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (एसीएनएएस) की संस्तुतियों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कर दिया गया है; आईआईपी पर तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में आईआईपी के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कर दिया गया है ; और सीपीआई के आधार वर्ष को इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में 2012=100 से संशोधित कर 2024=100 कर दिया गया है। इन संशोधनों में अद्यतन डेटा स्रोत, विस्तारित कवरेज, संशोधित मद सूची और अधिमान, बेहतर अनुमान कार्यपद्धतियां, जीएसटी और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) डेटाबेस जैसे प्रशासनिक डेटा स्रोतों का वर्धित उपयोग, अनिगमित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का उपयोग करके अनिगमित क्षेत्र का बेहतर अनुमान लगाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सांख्यिकीय पद्धतियों और अन्य पद्धतिगत परिशोधन अपनाना शामिल है।

साथ ही, उपरोक्त समष्टि आर्थिक संकेतकों की आधार संशोधन प्रक्रिया पर इनपुट और प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ कई तकनीकी परामर्श और विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, इन संकेतकों की संशोधित श्रृंखला को जारी करने से पहले पूर्व-रिलीज परामर्शी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप रहने, आधिकारिक सांख्यिकी की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और समयबद्धता में सुधार करने, उभरती हुई डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) में अपनाए गए सांख्यिकीय मानकों, अवधारणाओं, वर्गीकरणों, सर्वेक्षण उपकरणों और कार्यप्रणालियों की निरंतर समीक्षा करके इन्हें अद्यतन करता है। तदनुसार, प्रत्येक प्रमुख सर्वेक्षण से पहले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के लिए संचालन समिति, तकनीकी सलाहकार समूहों (टीएजी), सर्वेक्षण-विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञ समूहों (टीईजी) की संस्तुतियों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विषय विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर सर्वेक्षण अनुसूचियाँ/प्रश्नावली, प्रतिदर्श डिजाइन, अवधारणाएँ और परिभाषाएँ, मद वर्गीकरण, क्षेत्रीय प्रक्रियाएँ, डेटा संग्रह पद्धति, सत्यापन प्रोटोकॉल और सारणीकरण योजनाओं की समीक्षा की जाती है। जहाँ भी आवश्यक हो, प्रायोगिक अध्ययनों और क्षेत्र परीक्षण के बाद परिवर्तनों को अंतिम रूप दिया जाता है।

परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आधुनिकीकरण कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार(सीएपीआई) और ई-सिग्मा प्रणाली जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों को अपनाने, अंतर्निहित सत्यापन जांच, वास्तविक समय डेटा निगरानी, एआई-सक्षम चैटबॉट और बहुभाषी इंटरफेस को शामिल करने जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से किया गया है। इन पहलों ने डेटा की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है और सर्वेक्षण डेटा जारी करने में लगने वाले समय को 8–9 महीने से घटाकर 45–90 दिन कर दिया है। वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम अब 90–120 दिनों के भीतर जारी किए जाते हैं; तिमाही परिणाम 45–60 दिनों के भीतर और मासिक परिणाम सर्वेक्षण पूरा होने के 15–30 दिनों के भीतर जारी किए जाते हैं। एमओएसपीआई ने उच्च-आवृत्ति वाले सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालिक सर्वेक्षण शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सर्वेक्षणों के प्रतिदर्शकरण डिज़ाइन जिला को आधारभूत स्तर के रूप में अपनाकर संशोधित किया गया है, जिससे राज्यों को प्रमुख संकेतकों के जिला स्तरीय अनुमान तैयार करने में सक्षम बनाया गया है।
